

मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें।
 प्रार्थीगण अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगणों के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगणों को प्रा० पत्र, दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियाँ रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थना-पत्र को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है, लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगणों पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.10.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर, मनोहरथाना

29/10/25

पत्रावली चेक 1 वकील उमरपुत्र ७५०।
 अप्रार्थीगण ६ व ७ एवं ३ की तामील नहीं हुई थी।
 पुनः तलब के पत्र भरे। अप्रार्थी वकील द्वारा
 जवाब पत्रावली भरे हेतु समय याद दया। T.D.
 आदेश जो आगामी तारीख पेशी तलब व दायता
 जाता है। पत्रावली वाले जवाब एवं तलबी
 दिनांक 24.12.25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
 मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

28.11.25 पत्रावली के आदिनामक के प्रा० पत्र पर पत्रावली पेश
 हुई। वकील प्रार्थीगण श्री। किये रना व प्रार्थी नं.
 9 रामबिहास -पापास्य नं ७५० है। प्रार्थी की
 पक्ष पर उनके आदिनामक द्वारा ही भरे। -पापास्य
 की आदेशिका पर उनके पत्रावली के उत्तर भरे।
 प्रार्थी पत्रावली नं प्रार्थी ने प्रा० पत्र को शेप ले सिद्धादि
 बिपे नते की प्रार्थी की है तथा -पापास्य नं
 भगत भयमा है डि वे सुला वाड को अब नहीं
 यथान्त पाहेत है। पुंति भले वाड वाडी विज्ञो वे
 स्वयं निमित्त के लुका है। अतः एले प्रा० पत्र नं
 भरे अपेक्षा शेव नहीं है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी
 निज्ञो ले स्वयं निमित्त दिया जात है। पत्रावली
 प्रार्थीगण कुमार देवर वाड तामील नंबर नं ७५०
 शरिफुल पत्रावली है।

पत्र
 रामबिहास
 T.D. प्रार्थी
 कल्याण के।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
 मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)